



हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार)

छतनाग मार्ग, झुंसी, प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211 019 (भारत)

Harish-Chandra Research Institute

(Department of Atomic Energy, Government of India)

Chhatnag Road, Jhansi, Prayagraj (Allahabad) - 211 019 (INDIA)

सं./एचआरआई./No./H.R.I./ 980/503

दिनांक/Date: 12.6.2026

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय/Sub.: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक/यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोषण) – आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन/Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) – Re-constitution of Internal Complaints Committee.

उक्त विषयक कार्यालय ज्ञापन सं.एच.आर.आई./980/504 दिनांक 13 जून, 2023 (संस्थान की वेबसाइट - <https://www.hri.res.in/~omnotices/admin/sexual-harassment.html> पर उपलब्ध) द्वारा संबंधित विषयक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के क्रम में संस्थान पर संबंधित अधिनियम सं.14, 2003 की धारा 4 के प्राविधान के अन्तर्गत संस्थान स्तर पर "आंतरिक शिकायत समिति/महिला शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन किया गया था।

On the captioned matter, vide O.M. No.H.R.I./980/504 dated 13 June, 2023 (available on institute's website - <https://www.hri.res.in/~omnotices/admin/sexual-harassment.html>) a committee "Internal Complaint Committee/Women's Grievance Cell" was constituted in compliance with the provision of clause 4 of Act No. 14 (2003) as per notification of Ministry of Women and Child Development (dated 9th December 2013).

2. उक्त समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के उपरान्त निम्नानुसार उक्त समिति (आंतरिक शिकायत समिति/महिला शिकायत प्रकोष्ठ) का पुनर्गठन किया जाता है।

After completion of three years tenure of the committee, the committee (Internal Complaint Committee/Women's Grievance Cell) is reconstituted as per the following:

1.	प्रो. अदिति सेन डे/Prof. Aditi Sen De	पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष Presiding Officer/ Chairperson
2.	श्रीमती पद्मा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता/Smt. Padma Singh, Social Activist	सदस्य (बाह्य)/Member (External)
3.	प्रो. पुनीता बत्रा/Prof. Punita Batra	सदस्य/Member
4.	प्रो. डी. सूर्या रमणा/Prof. D. Surya Ramana	सदस्य/Member
5.	प्रो. मनोज कुमार यादव/Prof. Manoj Kumar Yadav	सदस्य/Member
6.	श्री के.के. सुरेश कुमार/Shri K.K. Suresh Kumar	सदस्य/Member
7.	श्रीमती अंजू वर्मा/Smt. Anju Verma	सदस्य/Member

8.	श्रीमती सुमित्रा/Smt. Sumitra	सदस्य/Member
9.	श्री एन.के. अरोड़ा, एडवोकेट/Shri N.K. Arora, Advocate	विशेष आमंत्रित/Special invitee
10.	समय-समय पर आवश्यकतानुसार निदेशक द्वारा नामित एक/दो छात्र/छात्रा (छात्रा को वरीयता) प्रतिनिधि (जेआरएफ/एसआरएफ/पीडीएफ)/One/Two student representative (JRF/SRF/PDF) nominated by the Director from time-to-time/as & when required (preferably a female student)	विशेष आमंत्रित छात्र प्रतिनिधि/ Special invitee (as student representative)

3. इस विषयक पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं.एच.आर.आई./980/1273 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

Provisions enunciated in earlier O.M. No.H.R.I./980/1273 dated 18 July, 2016 shall remain the same.

4. यह आदेश निदेशक के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

This issues with approval of the Director.


 (दुर्गम गिरि/Durgam Giri)
 रजिस्ट्रार/Registrar

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु/Copy to the following for information and necessary action:-

1. समिति के सभी सदस्यों को/All members of the committee
2. निदेशक/Director
3. कंप्यूटर केन्द्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/Computer Centre – to upload it on institute website.
4. समस्त सूचना पट्टों पर/All notice boards
5. संस्थान के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा/All members of the institute by e-mail